

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/18878/आरटीई दिशा-निर्देश/2023-24

दिनांक :- 16.04.2024

## संशोधित आरटीई टाइम फ्रेम सत्र 2024-25

- विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है :-

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा-निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	02 अप्रैल 2024 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	03 अप्रैल 2024 से 29 अप्रैल 2024 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	01 मई 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। (विद्यालय चयन क्रम को बदलना)	01 मई 2024 से 8 मई 2024 तक	अभिभावको द्वारा
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा)	01 मई 2024 से 15 मई 2024 तक	गैर सरकारी विद्यालय
7	अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना।	01 मई 2024 से 21 मई 2024 तक	अभिभावको द्वारा
8	विद्यालय द्वारा Request किये जाने(बालक द्वारा दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने पर)/अभिभावक द्वारा संशोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना।	01 मई 2024 से 28 मई 2024 तक	सीबीईओ द्वारा
9	शेष समस्त आवेदन ऑटोवेरिफाई करना।	31 मई 2024	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
10	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (प्रथम चरण आवंटन)	01 जून 2024 से 25 जुलाई 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
11	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (द्वितीय चरण आवंटन)	26 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
12	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर) (अन्तिम चरण)	17 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा